दिनांक 17.04.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति–

1. श्री के० सेंथिल कुमार	– अपर सचिव	– अध्यक्ष
2. श्री विवेक कुमार	– संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण	– सदस्य
3. श्री अजीत कुमार सिन्हा	– सहायक निदेशक, नियोजन	– सदस्य
4. डा० (श्रीमति) तृप्ति चौधरी	– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
5. श्री राकेश कुमार	– सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	
6. मो० मुस्तफा मंसूरी	– प्रशाखा पदाधिकारी–03 (सरकार पक्ष)	
7. श्री देवेश कुमार	– श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (सरकार पक्ष)	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, कटिहार	अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 के संबंध में– प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–768 दिनांक–16.04.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 में श्री रामानन्द सिंह, मुख्य अनुदेशक (से0नि0) का मकान किराया भत्ता का अवैध भुगतान की राशि को कटौती की जानी है। मकान किराया भत्ता की राशि जो रू0 1,18,981/– है, जिसकी कटौती की जानी है, उक्त राशि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की राशि से कटौती कर शेष का भुगतान किया जा चुका है। प्राचार्य, औ0प्र0 संस्थान, कटिहार के पत्रांक–493 दिनांक–20.09.2017 के द्वारा निदेशकीय समीक्षोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को हस्तगत करा दिया गया है। परन्तु अब तक महालेखाकार के द्वारा अंतिम निर्णय औ0प्र0 संस्थान, कटिहार को प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशालय पत्रांक 373 दिनांक 28.02.2018 एवं स्मार पत्रांक–659 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, कटिहार को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर मामले का निराकरण करने हेतु पत्र दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मामले के निष्पादन में आवश्यक बिलम्ब किया जा रहा है। उपस्थित सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि मामले का शीघ्र नियमानुसार निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदित किया जाए।

2. श्री अशोक कुमार राम, मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, दीघाघाट, पटना 3. श्री स्नेही लाल बैठा, मुख्य अनुदेशक, औ०प्र० संस्थान, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण 4. श्री शिव महतो, मुख्य अनुदेशक, औ०प्र० संस्थान, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण 5. श्री अशोक कुमार, मुख्य अनुदेशक, औ०प्र० संस्थान, अरवल	**मुख्य अनुदेशक से सहायक अधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–768 दिनांक 16.04.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के आलोक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुदेशक संवर्ग के पद को टू–टायर कैडर करने एवं प्रोन्नति का पद ग्रुप इन्सट्रक्टर करने से संबंधित नियामवली में संशोधन करने हेतु बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 विधि विभाग से विधिक्षोपरान्त मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पृष्ठांकित की जा चुकी है। मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 अधिसूचित किया जाएगा। तत्पश्चात् ही प्रोन्नति पर विचार करना संभव है। अतएव इसे विलोपित समझा जाए। समीक्षोपरान्त समिति का निर्णय हुआ कि चूँकि बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पृष्ठांकित है। अतः इस मामले को निष्पादित नहीं माना जा सकता। सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि नियमावली अधिसूचित होने पर समिति को अवगत कराया जाय एवं तत्पश्चात् नियमानुसार प्रोन्नति संबंधी कार्रवाई करते हुए समिति को प्रतिवेदित किया जाए।
6. श्री प्रेम चन्द कुमार सिन्हा, महासचिव, बिहार राज्य औ०प्र० संस्थान कर्मचारी संघ, दीघा, पटना–11	**राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सहायक अधीक्षक के पद को बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि उप प्राचार्य के पद में अभी तक आमेलित नहीं किए जाने के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–768 दिनांक 16.04.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के आलोक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुदेशक संवर्ग के पद को टू–टायर कैडर करने एवं प्रोन्नति का पद ग्रुप इन्सट्रक्टर करने से संबंधित नियामवली में संशोधन करने हेतु बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 विधि विभाग से विधिक्षोपरान्त मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पृष्ठांकित की जा चुकी है। मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 अधिसूचित किया जाएगा। ततपश्चात ही प्रोन्नति पर विचार करना संभव है। अतएव इसे विलोपित समझा जाए। समीक्षोपरान्त समिति का निर्णय हुआ कि चूँकि बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पृष्ठांकित है। अतः इस मामले को निष्पादित नहीं माना जा सकता। सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि नियमावली अधिसूचित होने पर समिति को अवगत कराया जाय एवं तत्पश्चात् विषयांकित मामले के निष्पादन के संबंध में समिति को स्पष्ट प्रतिवेदन दिया जाए।

7. श्री राजीव कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण	वित्त विभाग के पत्रांक—8966 दिनांक 28.08.2012 के आलोक में झारखण्ड राज्य से अन्तिम रूप से बिहार में योगदान करने के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2006 से 31.03.2007 तक झारखण्ड राज्य का पुनरीक्षित बकाये वेतन का भूगतान के संबंध में— प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक—768 दिनांक 16.04.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के मामले पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ है, जिसमें पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश को वर्तमान पदनाम से पत्र निर्गत किया जाना है। तदनुसार निदेशालय स्वीकृत्यादेश सं०—569 दिनांक 22.03.2018 के द्वारा निर्गत किया गया है। अनुरोध है कि उक्त मामले को निष्पादित किया जा सकता है। समिक्षोपरान्त समिति का निर्णय हुआ कि चूँकि आवेदक ने पुनरीक्षित बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में आवेदन दिया है। अतः भुगतान के पश्चात् ही मामले को निष्पादित माना जा सकता है। सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि आवेदक को बकाये के भुगतान के पश्चात् समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
8. श्री चन्द्रशेखर कुमार, अनुदेशक, औ० प्र० संस्थान, भागलपुर।	बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2013 के अनुरूप अनुदेशक संवर्ग के वरीयता निर्धारण के संबंध में— प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक—768 दिनांक 16.04.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2013 के नियम 15 (2) के अनुसार श्री चन्द्रशेखर कुमार, अनुदेशक एवं अन्य, औ०प्र० संस्थान, भागलपुर के अभ्यावेदन को खारिज किया गया है। अवलोकनार्थ संचिका संख्या—टी1 / स्था०(6) अनु०—18 / 2015 की छायाप्रति संलग्न है। अतिएव मामला को विलोपित करने की कृपा की जाए। प्रशिक्षण पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

1.डॉ0 एस0 एस0 मुजफ्फरउद्दीन बलखी 2. डॉ0 उषा पाण्डेय	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के आयुष, यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की नयी नियमावली बनाने के संबंध में। उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आयुष / यूनानी / होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली से संबंधित विभागीय संचिका सं0—1 / श्रम वि.ई. 8—80—01 / 2015 निदेशक, चिकित्सा सेवायें के मंतव्य के साथ उच्च स्तरीय निर्णयार्थ उपस्थित है। उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें को निदेश दिया गया कि नियमावली के अधिसूचित होने को सूचना से समिति को अवगत कराया जाए।

बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।

(अजीत कुमार सिन्हा) सहायक निदेशक, नियोजन सदस्य	(विवेक कुमार) संयुक्त निदेशक,प्रशिक्षण सदस्य	3/1/18 (के०सेंथिल कुमार) विशेष सचिव, अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3 / श्रम विधि (शि0नि0)–01 / 2018 श्र0 सं0 1019 पटना, दिनांक 07/5/2018

प्रतिलिपिः– निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में) / श्रमायुक्त, बिहार / निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्म0रा0बीमा योजना / संयुक्त श्रमायुक्त–01 / संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण / सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/5/18

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3 / श्रम विधि (शि0नि0)–01 / 2018 श्र0 सं0 1019 पटना, दिनांक 07/5/2018

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/5/18

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांकः–3 / श्रम विधि (शि0नि0)–01 / 2018 श्र0 सं0 1019 पटना, दिनांक 07/5/2018

प्रतिलिपिः– सचिव विधि विभाग / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

3/5/18

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

proceeding of GRC new doc.483

आई0टी0 मैनेजर